(104)

निग0 /3061/ III/15

न्यायालय मे श्री मान राजस्व मण्डल ---- ग्वालियर म0प्र0

(1) सकूर मोहम्मद पिता मोहम्मदजमीर पेशा खेती निवासी ग्राम ब्योहारी

(2) बसीर मोहम्मद पिता मो0 जमीर पेशा खेती निवासी ग्राम ब्योहारी

(3) सन्त कुमार गुप्ता पिता भोला गुप्ता पेशा खेती निबासी ब्योहारी

उक्त सभी का जिला शहडोल म0प्र0 ----- आवेदक गण

बनाम

(1) चन्द्रब्रम्ह सिंह पिता बीरेन्द्र सिंह पेशा खेती निवासी ग्राम ब्योहारी

(2) राजेश कुमार पिता श्री रामकृष्ण गुप्ता निबासी ग्राम ब्योहारी

(3) तुलसी दास पिता रामसनेही साकिन ब्योहारी जिला शहडोल म0प्र0

संतोष कुमार पटेल, सभी का तहसीलब्योहारी जिला शहडोल म0प्र0- अनावेदक

10-9-15

निगरानी बिरूध्द अपील रा0प्र0क्0-19अपील2010-2011, अन्तारिम आदेश 6/8/15 अनुबिभागीय अधिकारी महोदयब्योहारी जिला शहडोल म0प्र0

10-9-15

=-=

संतोष कुमार पटेल 10/9/15

मान्यबर,

बिनय है कि रे0पा0क्0 1,2,3 द्वारा अनुबिभागीय अधिकारी ब्योहारी के न्यायालय मे नामान्तरण पंजी क्0-01 प्रमाणीकरण दिनांक-10/11/2004 आराजी ग्राम ब्योहारी तहसील ब्योहारी जिला शहडोल म0प्र0 के विरूध्द अवधि के बाहर अपील प्रस्तुत किया था । तथा धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था , उक्त अपील मे नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही किया गया था , तथा नामान्तरण आदेश से 6बर्ष बाद अवधि बाह्य अपील को ग्राह्य करते हुये

[illegible]

37

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3061–तीन/2015 जिला शहडोल

सकूर मोहम्मत आदि विरूद्ध चन्द्रब्रम्ह सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–2–2019	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ब्योहारी जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 19/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 06–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर जिला शहडोल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 18/2/19 सदस्य	